

कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : 32

सन् : 2019

सरकार बनाम रामगुप्ति पुत्रा जी निधामचन्द, निधामचन्द पुत्रा जी निधामचन्द, निधामचन्द पुत्रा जी निधामचन्द, निधामचन्द पुत्रा जी निधामचन्द
निर्णय करदात्री

दिनांक:- 06/02/19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामि हो चुकी है। बावजूद तामिल के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 18NP के मु0न0 23 किला नं0 - के कुल 0.075 हैक्टे0 रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ ख0सं0 2015 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी 8 प्रति हैक्टे0 - का तावान 50 गुणा राशि 3020 के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि की फसल निमासी हेतु एग फसल निमासी प्रकृत करने हेतु 1+R से निष्का जाये।

पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। तब तब तकमीन दाखिल दफतुर हो। निर्णय सुनाया गया।



उप तहसीलदार
मुकलावा (श्रीगंगामगर)